रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30092020-222172
CG-DL-E-30092020-222172

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 282] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 30, 2020/आश्विन 8, 1942
No. 282] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 30, 2020/ASVINA 8, 1942

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2020

मामला सं. एडी (ओआई)–33/2020

विषय : चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "डेकोर पेपर" के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत।

फा. सं. 6/38/2020–डी जी टी आर.—आईटीसी लिमिटेड (जिसे यहां आगे "आवेदक" भी कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष चीन जन. गण. (जिसे आगे "संबद्ध देश" भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यात किये गये **"डेकोर पेपर"** के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत की मांग करते हुए एक आवेदन (जिसे यहां आगे "याचिका" भी कहा गया है) दायर किया है।

2. आवेदक ने संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए **"डेकोर पेपर"** के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हो रही वास्तविक क्षति का आरोप लगाया है और यह अनुरोध किया है कि संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यात की गई संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाया जाये।

विचाराधीन उत्पाद (पी यू सी)

3. विचाराधीन उत्पाद विचाराधीन उत्पाद “40-130 जीएसएम, के रील फार्म में कोट न किया गया पेपर है जिसमें कम से कम 12 एमएम प्रति 10 मिनट की विलय करने के क्लेम, 10-40 सेकेंड/100 एमएल की गरली पोरोसिटी और 6-12 एन/15 एमएम का वेट टेंसाइल क्षमता है और जिसमें फीलर के रूप में टाइटेनियम डाई ऑक्साइड अथवा पिगमेंट” (जिसे यहां आगे “डेकोर पेपर” अथवा “संबद्ध वसतु” भी कहा गया है) है । यह उच्च दबाव (एचपीएल) अथवा निम्न दबाव (एलपीएल) डेकोरेटिव लेमिनेट्स के लिए बेस पेपर है, जिसे डेकोरेटिव बेस पेपर, उच्च दबाव अथवा निम्न दबाव के लेमिनेट के लिए डेकोरटिव पेपर, कोटिंग बेस पेपर और प्रिंट बेस पेपर परंतु जिसमें उपयाग करने के लिए तैयार प्रिंटेड डेकोर पेपर शामिल नहीं है, के रूप में भी जाना जाता है ।

4. विचाराधीन उत्पाद में विभिन्न प्रकार के डेकोर पेपर जैसे सर्फेसिंग पेपर (व्हाइट/ऑफ व्हाइट), लाइनर (व्हाइट/ऑफ व्हाइट), बेरियर पेपर, शटरिंग बेस, ओवरले पेपर और प्रिंट बेस पेपर (कलर/व्हाइट) शामिल हैं । इसका आयात वेक्सीन, कोटिंग और इम्प्रेगेशन के लिए बेस पेपर; प्रिंटिंग के लिए बेस पेपर; डेकोरेटिव उद्योग में उपयोग किए जाने के लिए बेस पेपर और बेरियर पेपर के रूप में आयात किया जा सकता है और ये विभिन्न आकारों जैसे 95 सीएम, 96 सीएम , 102 सीएम, 123 सीएम, 123.5 सीएम, 124 सीएम, 124.5 सीएम, 125 सीएम, 131 सीएम, 132 सीएम, 183 सीएम, 184 सीएम तथा 185 सीएम के रूप में आ सकता है ।

5. विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन दबाई गई शीट के रूप में पल्प से किया जाता है जो पल्प सस्पेंशन का निर्माण करने के लिए पानी में स्लस होता है ताकि पल्प उपयोग के लिए उपयोग के लिए उपयुक्त हो सके । इस प्रक्रिया के दारान, फाइबर को अलग किया जाता है । डेकोर पेपर का उत्पादन करने के लिए फाइबरों को यांत्रिक कार्य की कार्रवाई से तथा जलीय माध्यम (जल) की मौजूदगी में परिष्कृत किया जाता है । निर्माण की प्रक्रिया में एडीटिप्स को मिलाया जाता है जिसका उपयोग सतह में सुधार लाकर प्रिंट की गुणवत्ता में वृद्धि करने तथा अपारदर्शिता, सफेदीपन में सुधार लाने के उद्देश्य से फाइबरों के बीच स्थानों में फिलर के रूप में किया जाता है । उसके बाद अवांछनीय कणों को सफाई के माध्यम से निकाला जाता है । कम किए हुए पल्प सस्पेंशन की मात्रा को आगे सभी संघटकों को सही तरीके से वितरित करने के साथ एक परिष्कृत, चौड़ी और एक समान शीट में परिवर्तित किया जाता है जिसके बाद इस शीट से पानी को निकाला जाता है, सुखाया जाता है और केलेंडर किया जाता है । अंत में इन शीट को आवश्यकता के अनुसार स्लॉट के रूप में बनाया जाता है और उसकी पैकिंग की जाती है ।

6. विचाराधीन उत्पाद सीमाशुल्क टैरिफ वर्गीकरण अधिनियम 48059100 के अंतर्गत सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) के अध्याय 48 के अंतर्गत वर्गीकृ,त किया जाता है । आवेदक ने यह दावा किया है कि विचाराधीन उत्पाद का भी आयात 48022090 के अंतर्गत किया जा रहा है । दोनों सीमाशुल्क वर्गीकरण पर वर्तमान जांच के उद्देश्य से विचार किया गया है । हालांकि सीमाशुल्क वर्गीकरण सांकेतिक मात्र है और यह विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

समान वस्तु

7. आवेदक ने दावा किया है कि संबद्ध देश से निर्यात किये गये और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन की गई संबद्ध वस्तुओं के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन की गई संबद्ध वस्तुओं और संबंध देश से आयात किए गए विचाराधीन उत्पाद आवश्यक उत्पाद इन वस्तुओं की विशेषताओं जैसे भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, निर्माण की प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और उपयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन और टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। उपभोक्ता इन दोनों का उपयोग एक दूसरे के स्थान पर करते हैं। इसके अलावा आवेदक ने दावा किया है कि ये दोनों तकनीकी रूप से और व्यापारिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इस कारण से इन्हें नियमावली के अंतर्गत समान वस्तु के रूप में माना जाना चाहिए। इस कारण से, वर्तमान जांच के उद्देश्य से भारत में आवेदक द्वारा उत्पादन की गई संबद्ध वस्तुओं को संबद्ध देशों से आयात की जा रही विचाराधीन उत्पाद के “समान वस्तु” के रूप में माना जा रहा है।

घरेलू उद्योग और स्थिति

8. यह आवेदन मै. आईटीसी लिमि. द्वारा दायर किया गया है। आवेदक ने यह दावा किया है यद्यपि इसने 2017-18 में संबद्ध वस्तुओं का आयात किया है फिर भी जांच की अवधि में कोई आयात नहीं किया गया है । इसके अलावा,

आईटीसी लिमिटेड संबद्ध देश में संबद्ध वस्तुओं के किसी उत्पादक अथवा निर्यातक या भारत में विचाराधीन उत्पाद के किसी आयातक से संबंधित नहीं है।

9. रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना पर विचार करते हुए यह नोट किया जाता है कि आवेदक का भारतीय उत्पादन में बहुत बड़ा हिस्सा है। उपर्युक्त को देखते हुए तथा उचित जांच के बाद, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि कि आवेदक नियम 2(ख) में निहित प्रावधानों के संबंध में पात्र घरेलू उद्योग है और यह आवेदन उपर्युक्त नियमावली के नियम 5(3) के संदर्भ में मानदंड को पूरा करता है।

कथित पाटन का आधार

i. <u>सामान्य मूल्य</u>

10. आवेदक ने चीन के आरोहण प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क)(i) का उदाहरण दिया है और उस पर विश्वास किया है। आवेदक ने यह दावा किया है कि चीन जन गण में उत्पादकों को यह दर्शाने के लिए कहा जाना चाहिए कि उनके उद्योग में विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिक्री के संबंध में, समान उत्पाद का उत्पाद का उत्पादन करने के लिए बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां मौजूद हैं। आवेदक द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि यदि उत्तर देने वाले चीन के उत्पादक यह दर्शाने में सक्षम नहीं हैं कि उनकी लागत और कीमत सूचना बाजार से प्रभावित होती है, सामान्य मूल्य की गणना अनुबंध-1 के पैरा-7 और 8 के प्रावधानों के संबंध में की जानी चाहिए। आवेदक ने यूरोपीय यूनियन की पहचान चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण करने हेतु एक उपयुक्त तीसरे देश के रूप में की है और सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए भारत को यूरोपीय यूनियन से किए गए निर्यातों पर विश्वास किया है।

11. वैकल्पिक रूप से आवेदक ने बिक्री, उचित लाभ के साथ सामान्य और प्रशासनिक खर्च को विधिवत समायोजित करत हुए उत्पादन की लागत के आधार पर भारत में भुगतान योग्य कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य भी संरचित किया है। प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के उद्देश्य से संरचित सामान्य मूल्य को स्वीकार किया है। आवेदक द्वारा दावा किए गए संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के लिए सामान्य मूल्य का पर्याप्त साक्ष्य है।

ii. <u>निर्यात कीमत</u>

12. प्राधिकारी ने वाणिज्यिक सूचना और सांख्यिकीय महानिदेशालय (डी जी सी आई एंड एस), से लेन देन वार आयात संबंधी आंकड़ों के आधार पर संबद्ध देश के लिए संबद्ध वस्तुओं के वास्ते निर्यात कीमत की गणना की है। कीमत संबंधी समायोजन समुद्री भाड़े, समुद्री बीमा, कमीशन, बैंक शुल्क, पोर्ट खर्च, और अंतर्देशीय भाड़ा खर्च के लिए किया गया है। आवेदक द्वारा दावा किए गए संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के लिए निर्यात कीमत का पर्याप्त साक्ष्य है।

iii. <u>पाटन मार्जिन</u>

13. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की कारखाना द्वार स्तर पर तुलना की गई जो प्रथम दृष्टया यह दर्शाता है कि पाटन मार्जिन न्यूनतम स्तर से ऊपर है और संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के संबंध में बहुत अधिक है। इस बात के प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद का संबद्ध देश के निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में पाटन किया जा रहा है।

<u>क्षति और कारणात्मक संबंध का साक्ष्य</u>

14. आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना पर घरेलू उद्योग को हुई क्षति के आकलन हेतु विचार किया गया है। आवेदक ने समग्र रूप से तथा भारत में उत्पादन और खपत की तुलना में पाटित आयातों की बढ़ी हुई मात्रा, कीमत कटौती और कीमत ह्रासकारी प्रभाव के परिणामस्वरूप कथित पाटन के कारण हुई क्षति के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। आवेदक ने यह दावा किया है कि इसके कार्य निष्पादन पर विचाराधीन उत्पाद के आयातों में वृद्धि के फलस्वरूप खोये हुए बाजार हिस्से, संचित मालसूची और उसके परिणामस्वरूप लाभ, नकद लाभ में गिरावट और लगाई गई पूंजी पर लाभ में गिरावट के संबंध में प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इस बात के प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य हैं कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है।

पाटनरोधी जांच की शुरुआत

15. घरेलू उद्योग द्वारा अथवा इसकी ओर से विधिवत रूप से साक्ष्यांकित लिखित आवेदन के आधार पर और घरेलू उद्योग द्वारा संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति और कथित पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के बारे में घरेलू द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर स्वयं को संतुष्ट करने के बाद और नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार प्राधिकारी एतद्वारा संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में किसी कथित पाटन के मौजूद होने, उसकी मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने के लिए तथा पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश करने जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी, का निर्धारण करने के लिए जांच की शुरुआत करते हैं।

संबद्ध देश

16. वर्तमान जांच के लिए संबद्ध देश चीन जन.गण. है।

जांच की अवधि (पीओआई)

17. वर्तमान जांच के लिए जांच की अवधि (जिसे यहां आगे "पीओआई" भी कहा गया है) 1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020 तक है। क्षति की अवधि में 1 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2017; 1 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2018, 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च, 2019 की अवधियां और जांच की अवधि शामिल होंगी।

प्रक्रिया

18. नियमावली के नियम 6 में यथाप्रदत्त सिद्धांतों का वर्तमान जांच के लिए पालन किया जाएगा।

सूचना प्रस्तुत करना

19. कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों के मद्देनजर निर्दिष्ट प्राधिकारी को सभी पत्र ई-मेल पते adg13-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in, dir15-dgtr@gov.in तथा dir16-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/ एमएस वर्ल्ड फार्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फार्मेट में खोजे जाने योग्य हो।

20. संबद्ध देश में ज्ञात निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के जरिए उनकी सरकारों, भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित रूप में अथवा तरीके से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है ।

21 कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे दी गई समय सीमा के भीतर विहित रूप में और तरीके से उपर्युक्त पैरा 18 में उल्लिखित इमेल पते पर इस जांच से संगत अपने अनुरोध भी प्रस्तुत कर सकता है।

22. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य पक्षकारों को उपलब्ध कराए जाने के लिए उसका एक अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

23. इसके अलावा हितबद्ध पक्षकारों को यह सलाह दी जाती है कि वे इस जांच के संबंध में किसी अद्यतित सूचना के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी की आधिकारिक वेबसाइट http://www.dgtr.gov.in/ पर नियमित रूप से नजर रखें।

समय सीमा

24. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार सूचना के प्राप्त होने की तिथि से तीस दिनों के भीतर उपर्युक्त ई-मेल पते adg13-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in, dir15-dgtr@gov.in तथा dir16-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए। हालांकि, यह नोट किया जाये कि उक्त उप-नियम की व्याख्या के संबंध में, सूचना और अन्य दस्तावेजों को मंगाने वाले नोटिस के संबंध में यह माना जायेगा कि वह उस तिथि से एक सप्ताह पहले प्राप्त हो गया है जिस तिथि को इसे निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा निर्यातक देश से उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को भेजा गया था अथवा संप्रेषित किया गया था। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना पूरी नहीं हो तब प्राधिकारी इस नियमावली के अनुसार रिकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणामों को रिकार्ड कर सकते हैं।

25. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतदद्वारा सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान मामले में अपने हित (हित की प्रकृति सहित) के बारे में सूचना दें और उपर्युक्त समय सीमा के भीतर अपनी प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत करें ।

26. इसके अलावा हितबद्ध पक्षकारों को यह सलाह दी जाती है कि वे इस जांच के संबंध में किसी अद्यतित सूचना के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी की आधिकारिक वेबसाइट अर्थात http://www.dgtr.gov.in/ पर नियमित रूप से नजर रखें।

<u>गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना</u>

27. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) और इस संबंध में जारी व्यापार सूचनाओं के अनुसार उसका अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। उपर्युक्त का पालन न करने पर उत्तर/ अनुरोध को अस्वीकृत किया जा सकता है।

28. प्राधिकारी के समक्ष प्रश्नावली के उत्तर सहित कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्टों/ अनुबंधों सहित) करने वाले पक्षकारों से यह अपेक्षित है कि वे पृथक रूप से गोपनीय और अगोपनीय पाठ प्रस्तुत करें।

29. "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय" अनुरोधों को प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय" के रूप में स्पष्ट से चिन्हित किया जाना चाहिए। ऐसे चिन्ह के बिना कोई अनुरोध प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उन अनुरोधों का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

30. गोपनीय पाठ में वे सभी सूचना निहित होंगी जो गोपनीय प्रकृति की हैं और/ अथवा अन्य प्रकार की सूचना हैं जो इस प्रकार की सूचना देने वाले व्यक्ति गोपनीय के रूप में दावा करते हैं। उस सूचना के लिए, जिसके संबंध में गोपनीय होने का दावा किया गया है अथवा वह सूचना जिसके संबंध में अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा किया गया है, सूचना देने वाले व्यक्ति से यह अपेक्षित है कि वे दी गई सूचना के साथ-साथ सही कारण का विवरण उपलब्ध कराएं कि क्यों इस प्रकार की सूचना को प्रकट नहीं किया जा सकता है।

31. अगोपनीय पाठ के लिए यह अपेक्षित है कि वह गोपनीय सूचना अधिमानत: सूचीबद्ध अथवा कवर किया (यदि अनुक्रमण संभव नहीं हो) और उस सूचना जिसके संबंध में गोपनीयता का दावा किया गया हो, के आधार पर सारांश किए जाने के साथ गोपनीय पाठ की एक प्रतिकृति हो। अगोपनीय सारांश विस्तृत ब्यौरे के साथ होने चाहिए जिसमें कि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना के अर्थ को तर्कसंगत तरीके से समझा जा सके। हालांकि, आपवादिक परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकार यह उल्लेख कर सकते हैं कि इस प्रकार की सूचना का सारांश नहीं किया जा सकता है और कारणों का एक विवरण प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार अवश्य उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि क्यों इसका सारांश किया जाना संभव नहीं है।

32. प्राधिकारी प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृति की जांच करने पर गोपनीयता के लिए अनुरोध को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हों कि गोपनीयता के लिए अनुरोध आवश्यक नहीं है अथवा यदि सूचना देने वाला व्यक्ति इस सूचना को सार्वजनिक करने के लिए या तो इच्छुक नहीं हैं अथवा सामान्य रूप में या सारांश रूप में इसके प्रकटन के लिए अधिकृत करने के लिए इच्छुक नहीं हैं, तब प्राधिकारी इस प्रकार की सूचना की उपेक्षा कर सकते हैं।

33. उसके सार्थक अगोपनीय पाठ के बिना अथवा गोपनीयता के दावे के संबंध में सही कारण का विवरण दिए बिना कोई अनुरोध प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाएगा।

34. प्राधिकारी संतुष्ट होने पर और दी गई सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता स्वीकार करने पर उस सूचना को प्रदान करने वाले पक्षकार के विशिष्ट अधिकरण के बिना किसी पक्षकार को उसे प्रकट नहीं करेंगे ।

<u>सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण</u>

35. इस नियमावली के नियम 6(7) के संबंध में, कोई भी हितबद्ध पक्षकार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय पाठ वाली सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है। सार्वजनिक फाइल को इलेक्ट्रॉनिक मोड में रखने के तौर तरीकों का निर्धारण किया जा रहा है।

असहयोग

36. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार सूचना तक पहुंच की अनुमति देने से इंकार करता है अथवा अन्य प्रकार से उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं कराता है या इस जांच में पर्याप्त रूप से बाधा पहुंचाता है तब प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम को रिकॉर्ड कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को ऐसी सिफारिशें, जिसे वे उचित मानते हों, कर सकते हैं।

बी. बी. स्वेन, विशेष सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2020

Case No. AD (OI)–33/2020

Subject : Initiation of Anti-Dumping Investigation concerning imports of "Decor Paper" originating in or exported from China PR.

F. No. 6/38/2020–DGTR.—ITC Limited (hereinafter also referred to as the "Applicant") has filed an application (hereinafter also referred to as the "Petition") seeking initiation of anti-dumping investigation concerning imports of Decor Paper, originating in or exported from China PR (hereinafter also referred to as "subject country") before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the "Authority") in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "Act") and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "Rules").

2. The Applicant has alleged that material injury to the domestic industry is being caused due to dumped imports of the Decor paper, originating in or exported from the subject country and has requested for imposition of the anti-dumping duty on the import of the subject goods originating in or exported from the subject country.

Product under consideration (PUC)

3. The product under consideration is "uncoated paper in reel form of 40-130 GSM, having klemm absorbency of at least 12 mm per 10 minutes, wet tensile strength of 6-12 N/15 mm, and gurley porosity of 10-40 sec / 100 ml, containing titanium dioxide or pigments as filler" (herein also referred to as "Décor paper" or "subject goods"). It is a base paper for high-pressure (HPL) or low-pressure (LPL) decorative laminates, also known as decorative base paper, decorative paper for high-pressure or low-pressure laminates, coating base paper and print base paper, but excluding printed ready-to-use decor paper.

4. The product under consideration includes various types of decor paper, such as surfacing paper (white/off-white), liner (white / off-white), barrier paper, shuttering base, overlay paper and print base paper (color / white). It may be imported as base paper for waxing, coating and impregnation; base paper for printing; base paper for use in decorative industry and barrier paper, and may come in various sizes as 95 cm, 96 cm, 102 cm, 123 cm, 123.5 cm, 124 cm, 124.5 cm, 125 cm, 131 cm, 132 cm, 183 cm, 184 cm and 185 cm.

5. The product under consideration is produced from pulp, in the form of pressed sheets, which have to be slush in water to make pulp suspension so that pulp is suitable for use. During this process, fibres are separated. To produce decor paper, fibres are refined through the action of mechanical work and in the presence of aqueous medium (water). Additives are added in the manufacturing process, which are used as filler in the spaces between fibres, with the aim of improving opacity, whiteness and to increase the quality of print by improving the surface. Thereafter, undesirable particles are removed through cleaning. A volume of diluted pulp suspension is next transformed into a fine, wide and uniform sheet, with all components perfectly distributed, post which the sheet

is dewatered, dried and calendared. Lastly, the sheets are slotted as per the requirements, and packed.

6. The product under consideration is classified under the Chapter 48 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) under the tariff customs classification 48059100. The Applicant has claimed that the product under consideration is also being imported under 48022090. Both the customs classifications have been considered for the purpose of the present investigation. However, the customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the product under consideration.

Like Article

7. The Applicant has claimed that there is no known difference between the subject goods exported from the subject country and that produced by the domestic industry. Subject goods produced by the domestic industry and product under consideration imported from the subject country are comparable in terms of essential product characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. Consumers use the two interchangeably. The Applicant has further claimed that the two are technically and commercially substitutable and, hence, should be treated as like article under the Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the Applicant in India are being treated as 'Like Article' to the product under consideration being imported from the subject countries.

Domestic industry and Standing

8. The application has been filed by ITC Limited. The Applicant has claimed that although it has imported the subject goods in 2017-18, no imports have been made in the period of investigation. Further, ITC Limited is not related to any exporter or producer of subject goods in the subject country or any importer of product under consideration in India.

9. Considering the information on record, it is noted that the Applicant accounts for major proportion of the Indian production. In view of the above and after due examination, the Authority notes that the Applicant constitute eligible domestic industry in terms of the provisions contained in Rule 2(b) and the application satisfies criteria in terms of Rule 5(3) of the Rules supra.

Basis of Alleged Dumping

i. Normal value

10. The Applicant has cited and relied upon Article 15(a)(i) of China's Accession Protocol. The Applicant has claimed that producers in China PR must be asked to demonstrate that market economy conditions prevail in their industry producing the like product with regard to the production and sale of the product under consideration. It has been stated by the Applicant that in case the responding Chinese producers are not able to demonstrate that their costs and price information are market-driven, the normal value should be calculated in terms of provisions of Para 7 and 8 Annexure- I. The Applicant has identified European Union as an appropriate third country to determine normal value for China PR and relied on the exports from European Union to India for determination of normal value.

11. Alternatively, the Applicant has also constructed the normal value on the basis of price payable in India based on cost of production, duly adjusting selling, general and administrative expenses with reasonable profits. The Authority has accepted constructed normal value for the purpose of the present investigation. There is sufficient evidence of the normal value for the subject goods from subject country claimed by the Applicant.

ii. Export Price

12. The Authority has computed the export price for the subject country based on Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) transaction-wise import data. Price adjustments have been made for ocean freight, marine insurance, commission, bank charges, port expenses and inland freight. There is sufficient evidence of the export price for subject goods from the subject country claimed by the Applicant.

iii. Dumping Margin

13. The normal value and the export price have been compared at ex-factory level, which prima facie shows dumping margin is above the de-minimis level and is significant in respect of the product under consideration from the subject country. There is prima facie evidence that the product under consideration from subject country is being dumped into the Indian market by the exporters from the subject country.

Evidence of Injury and Causal Link

14. Information furnished by the Applicant has been considered for assessment of injury to the domestic industry. The Applicant has furnished evidence regarding the injury as a result of the alleged dumping in the form of increased volume of dumped imports in absolute terms and in relation to production and consumption in India, price suppression and price depression. The Applicant has claimed that its performance has been adversely impacted in respect of lost market share, accumulated inventories and consequent decline in profits, cash profits and decline in return on capital employed, as a result of increase in imports of product under consideration. There is sufficient prima facie evidence that the injury is being caused to the domestic industry by dumped imports of subject goods from subject country.

Initiation of Anti-Dumping Investigation

15. On the basis of the duly substantiated written application by or on behalf of the domestic industry, and having satisfied itself, on the basis of the prima facie evidence submitted by the domestic industry, about dumping of the product under consideration originating in or exported from the subject country, injury to the domestic industry and causal link between such alleged dumping and injury, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules, the Authority, hereby, initiates an investigation to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping in respect of the product under consideration originating in or exported from the subject country and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

Subject Country

16. The subject country for this investigation is China PR.

Period of Investigation (POI)

17. The Period of Investigation (hereinafter also referred to as "POI") in the present investigation is 1st April 2019 to 31st March 2020. The injury period will cover the periods 1st April 2016-31st March 2017, 1st April 2017-31st March 2018, 1st April 2018-31st March 2019 and the POI.

Procedure

18. Principles as given in Rule 6 of the Rules will be followed for the present investigation.

Submission of Information

19. In view of the special circumstances arising out of COVID-19 pandemic, all communication should be sent to the Designated Authority via email at email addresses adg13-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in, dir15-dgtr@gov.in and dir16-dgtr@gov.in. It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS Word format and data files are in MS Excel format.

20. The known exporters in the subject country, their government through their Embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the subject goods and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.

21. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed within the time-limit set out below on email address mentioned in paragraph 18 above.

22. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

23. Interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of the Designated Authority http://www.dgtr.gov.in/ for any updated information with respect to this investigation.

Time-Limit

24. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at the email addresses adg13-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in, dir15-dgtr@gov.in and dir16-dgtr@gov.in within thirty days from the date of receipt of the notice as per Rule 6(4) of the Anti-Dumping Rules. It may, however, be noted that in terms of explanation of the said Rule, the notice calling for information and other documents shall be deemed to have been received one week from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country. If no information is received within the prescribed time-limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.

25. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit.

26. The interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of DGTR i.e. www.dgtr.gov.in for any updated information with respect to this investigation.

Submission of information on confidential basis

27. Any party making any confidential submission or providing information on confidential basis before the Authority, is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same in terms of Rule 7(2) of the Rules and the Trade Notices issued in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response / submissions.

28. The parties making any submission (including Appendices/Annexes attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file Confidential and Non-Confidential versions separately.

29. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.

30. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.

31. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.

32. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

33. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

34. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorisation of the party providing such information.

Inspection of Public File

35. In terms of Rule 6(7) of the Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties. The modality of maintaining public file in electronic mode is being worked out.

Non-cooperation

36. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

B.B. SWAIN, Spl. Secy. & Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.09.30 23:14:35 +05'30'